प्र.कं.–निगरानी ....../09/2014
प्रस्तुती दिनांक ..../09/2014

माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर (म.प्र.)

R. 3017 – PBR/14

1. गब्बुसिंह पिता स्व. गुमानसिंह
2. सजनसिंह पिता स्व. हरिसिंह
3. चन्दरसिंह पिता स्व. चुन्नीलाल
सभी निवासी– ग्राम–फतनखेड़ी तह. व जिला इन्दौर

प्रार्थीगण – –

विरूद्ध

1. महेन्द्रसिंह पिता ओंकारसिंह
निवासी– भंवरकुआ मेनरोड़, इन्दौर म.प्र.
2. प्रमोद पिता सत्यनारायण
निवासी– विष्णुपुरी कॉलोनी, इन्दौर म.प्र.
3. रतनसिंह पिता चुन्नीलाल जी
निवासी– ग्राम–फतनखेड़ी तह. व जिला इन्दौर

प्रतिप्रार्थीगण –––

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर

प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत करने का कारण अधिनस्थ न्यायालय के पीठासिन अधिकारी श्री राजेशसिंह सा. नायब तहसीलदार तहसील व जिला इन्दौर द्वारा ग्राम फतनखेड़ी स्थित सर्वे कं. 1/4/1/1 रकबा 1.214 एवं 1/4/1/2 रकबा 0.567 हैक्टेयर भूमि बाबद् रा.प्र.कं. 05/अ–70/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 13/06/2014 है। जिसके विरूद्ध आपत्ति प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुतकर प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हेतु निवेदन किया गया। परंतु दिनांक 04/07/2014 को श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा आपत्ति का नजरअंदाज कर आपत्ति आवेदन पत्र निरस्त किया गया। जिसे सदर प्रकरण के प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थी ने संगतमत होकर अवैधानिक रूप से असत्य आधारो पर पारित कराया है। उक्त

आलोच्य आदेश दिनांक 13/06/2014 एवं 04/07/2014 से प्रार्थीगण के वैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अतः उक्त आदेश से असंतुष्ट एवं दुखी होकर इसे निरस्त करवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी सादर प्रस्तुत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3019-पीबीआर/2014 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-11-18	आवेदकपक्ष की ओर से श्री टी0टी0गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदकपक्ष की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 07-01-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	